राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	442/2021 हरिनारायण / धापूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/21		

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर उसमे एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थी की ईकतरफा बहस समायत की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 14/12/2020 के जरिये आगामी तारीख पेशी तक उभयपक्षों को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिसके विरुद्द अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 10 द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके सुनवाई का मौका दिये बगैर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर गलत रूप से पाबन्द कर दिया गया है जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके सुना जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारित तीनो बिन्दुओ क्रमशः प्रथमद्रष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति पर कोई संज्ञान नही लेते हुये विधिविरुद्द तरीके से आदेश जैर अपील को यथावत कायम रखा गया है जो विधि के सिद्दांतो के विपरीत होने से आदेश जैर अपील की क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया की रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर उसमे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमद्रष्टया प्रकरण होना धारित कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है ऐसे में सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को अपने उज्र प्रकट करने आवश्यक है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रथमद्रष्टया प्रकरण प्रतीत होने से ही अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अपीलाधीन आदेश दिया गया है | ऐसे में अपीलाधीन आदेश में इस न्यायालय के स्तर पर कोई हस्तक्षेप किया जाना न्योचित नही है एवं अन्तरिम आदेश के विरुद्द अपीलार्थी की यह अपील संधारणीय नही है | अत: अपील अपीलार्थी संधारणीय नही होने से ख़ारिज की जाती है |

21/10/2
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	442/2021 हरिनारायण / दानुराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 14/12/2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है | जिसके सन्दर्भ में रेस्पो. की मुख्य आपत्ति यह है की अन्तरिम आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील संधारणीय नही है | इस सन्दर्भ में अपील के साथ प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अपीलाधीन आदेश पारित करने के पश्चात अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश के जानकारी होने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/03/2021 प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर अपना उज्र प्रकट किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली वास्ते जवाब बहस नियत की जाकर आगामी पेशी 08/04/2021 नियत की गयी एवं दिनांक 08/04/2021 को जवाब वास्ते अन्तिम समय दिया जाकर आगामी पेशी इस हेतु पत्रावली नियत की गयी एवं तत्तपश्चात निरन्तर मोहरे अंकित कर तारीख पेशी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तब्दील कर दी जाती रही | ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे उपस्थित पक्षकारान को सुन कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में विवेचनात्मक आदेश पारित करते | ऐसी परिस्थिति में अधिवक्ता रेस्पो. की यह आपत्ति की यह अपील संधारणीय नही है उचित प्रतीत नही होती है किन्तु चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तरिम आदेश पारित किया गया है जिसका दोनों पक्षों को सुनकर उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों का विवेचनात्मक निर्णय किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी शेष है एवं चूँकि इस न्यायालय के समक्ष अब दोनों पक्ष उपस्थित आ गये है ऐसेमें अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष उपस्थित दोनों पक्षों को लम्बित प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 जाप्ता दीवानी पर दिनांक 10/11/2021 को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये आवश्यक रूप से विवेचनात्मक आदेश पारित करे | इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है | उभयपक्षों को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10/11/2021 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

[signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	५५२/२०२१ हरिनारायण / बाबूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश आज दिनांक 21/10/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	